

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(357)(वित्त-1)(i)आय व्ययक /2015 /

दिनांक: 30 मार्च, 2017

समस्त कोषाधिकारी,
राजस्थान।

(स्वीकृति संख्या 1009 /2016-17)

विषय : वर्ष 2016-17 में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत आवंटन राशि
नगर परिषदों/पालिकाओं के निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
जयपुर की स्वीकृति क्रमांक प.6(ट)(329)लेखा/DLB/MJSA /2016/21448-698 दिनांक 28.03.17
(प्रति संलग्न) में अंकितानुसार संबंधित नगर परिषदों/पालिकाओं के निजी निक्षेप खातों में कुल राशि
रुपये 396.59 लाख (अक्षरों रुपये तीन करोड़ छियानवें लाख उनसठ हजार मात्र) निम्न बजट मदों में
व्यय अंकित करते हुए हस्तांतरित कर दी जावें:-

विकलेय मद

2217 - शहरी विकास

80 - सामान्य

192 - नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता

(43) - जल संरक्षण उपकर निधि से व्यय

[01] - स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से

12 - सहायतार्थ अनुदान गैर संवेतन (आयोजना भिन्न)

राशि रूपये 396.59 लाख

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिये ही किया जायेगा, किसी
अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

भवदीय

(जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक/लेखा परीक्षा-I राजस्थान, जयपुर।
02. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
03. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
05. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
06. समस्त नगर परिषद/पालिका.....।
07. संयुक्त सचिव वित्त (व्यय-3 अनुभाग) विभाग, राज0 जयपुर।
08. अनुभाग अधिकारी, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।
09. वित्त (मार्गोपाय) अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

वेबसाईट- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

ई-मेल- caodlb@gmail.com

टेलीफोन/फैक्स नं - 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(329)लेखा/DLB/ MJSA/2016/ 21448 दिनांक : 28.03.2017

--: स्वीकृति आदेश :-

विषय : वर्ष 2016-17 में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत आवंटन।

राज्य की नगर परिषदों/पालिकाओं को वर्ष 2016-17 में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत राशि रुपये 396.59 लाख (अक्षरे रुपये तीन करोड़ छियानवें लाख उनसठ हजार मात्र) निम्न बजट मद में व्यय अंकित करते हुये संलग्न सूची अनुसार भुगतान किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(राशि लाखों में)

विकलेय मद	RE वर्ष 2016-17	इस स्वीकृति पर व्यय की राशि
2217 - शहरी विकास		
80 - सामान्य		
192 - नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता		
(43) - जल संरक्षण उपकर निधि से व्यय		
[01] - स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से- प्रति		
12 - सहायतार्थ अनुदान गैर संवेतन (आयोजना भिन्न)	1602.54	396.59

उक्त राशि का उपयोग में RTPP Act 2012/ Rules 2013 तत्संबंधी नियमो/निर्धारित प्रक्रियाओं एवं मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) के दिशा-निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें एवं राशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए करें, जिस हेतु राशि स्वीकृति हुई है।

राशि निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा सम्बन्धित नगर परिषदों/पालिकाओं के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित की जावेगी। इस स्वीकृति के लिये वित्त (व्यय-3) विभाग की सहमति आई.डी.क्रमांक 171700335 दिनांक 27.03.2017 द्वारा विभागीय पत्रावली पर प्राप्त कर ली गयी है।


(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.6(ट)(329)लेखा/DLB/ MJSA/2016/ 21449-698 दिनांक : 28.03.2017
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, (आयोजना) राज0 जयपुर।
04. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को 25 अतिरिक्त प्रतियाँ भिजवाकर निवेदन है कि सम्बन्धित नगर परिषद/पालिकाओं को स्वीकृत अनुदान राशि उनके निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरित करने की कार्यवाही करें।
05. प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हक)/(लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राज0 जयपुर।
06. वरिष्ठ उप महालेखाकार, स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा एवम् लेखा राजस्थान जयपुर।
07. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3)/(आर्थिक मामलात) विभाग, राज0 जयपुर।
08. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
09. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
10. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
11. लेखाधिकारी, प्रधान महालेखाकार कार्यालय, लेखा एवं हक (डी.डी.प्रथम अनुभाग) जयपुर।

12. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर ।
13. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर ।
14. समस्त कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित निकायों के निजी निक्षेप खाते में राशि हस्तान्तरित कराने की व्यवस्था कराने का श्रम करावें तथा निर्धारित फार्म में लेखे महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवम् हक) के डी0 डी0 प्रथम अनुभाग में भिजवाने की व्यवस्था करावे ।
15. आयुक्त/अधिसाषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिकाओं को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस स्वीकृति के अन्तर्गत आवंटित अनुदान राशि का निकाय के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरण कराया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
16. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर ।
17. परियोजना निदेशक/वरिष्ठ लेखाधिकारी, (आयोजना/आयोजना भिन्न)/उप निदेशक (सांख्यिकी), निदेशालय ।
18. प्रभारी आई टी प्रकोष्ठ/प्रभारी ई-गवर्नेंस/समन्वयक, सीएमएआर को वेब साईट पर अपलोड करने हेतु ।
19. बजट शाखा/अंक मिलान शाखा निदेशालय
20. सुरक्षित पत्रावली ।


(हुलास राय पवार)
मुख्य लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

वेबसाईट- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

ई-मेल- caodlb@gmail.com

टेलीफोन / फैक्स नं - 0141-2223074

वर्ष 2016-17 में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत नगर परिषदों/पालिकाओं को आवंटन

क्रसं.	नगर परिषद/पालिका	राशि
	कौष कार्यालय अजमेर (1091)	
1	किशनगढ	11.13
	योग	11.13
	कौष कार्यालय, अलवर (1092)	
2	अलवर	10.47
3	भिवाड़ी	3.23
	योग	13.70
	कौष कार्यालय, बाडमेर (1095)	
4	बाडमेर	4.79
5	बालोतरा	5.70
	योग	10.49
	कौष कार्यालय, बीकानेर (1099)	
6	डूंगरगढ	7.84
	योग	7.84
	कौष कार्यालय बॉसवाड़ा (1093)	
7	बॉसवाड़ा	5.23
8	कुशलगढ	4.95
	योग	10.18
	कौष कार्यालय, भीलवाड़ा (1098)	
9	भीलवाड़ा	11.97
10	गंगापुर	3.30
	योग	15.27
	कौष कार्यालय, भरतपुर (1097)	
11	डीग	2.20
	योग	2.20
	कौष कार्यालय, बाँरा (1094)	
12	बाँरा	3.95
13	छबड़ा	6.45
	योग	10.40
	कौष कार्यालय, बून्दी (1100)	
14	बून्दी	2.30
15	केशवरायपाटन	1.51
	योग	3.81
	कौष कार्यालय चित्तौड़गढ (1101)	
16	चित्तौड़गढ	6.57
17	निम्बाहेड़ा	5.72
	योग	12.29

क्रसं.	नगर परिषद/पालिका	राशि
	कौष कार्यालय प्रतापगढ (1122)	
18	प्रतापगढ	3.83
19	छोटी सादड़ी	1.24
	योग	5.07
	कौष कार्यालय, दौसा (1103)	
20	दौसा	1.49
21	बांदीकुई	3.29
	योग	4.78
	कौष कार्यालय, डूंगरपुर (1105)	
22	डूंगरपुर	6.53
23	सागवाड़ा	7.59
	योग	14.12
	कौष कार्यालय, चूरु (1102)	
24	चूरु	4.52
25	तारानगर	4.21
	योग	8.73
	कौष कार्यालय, धौलपुर (1104)	
26	धौलपुर	8.80
27	बाडी	1.95
	योग	10.75
	कौष कार्यालय श्रीगंगानगर (1106)	
28	श्री गंगानगर	7.69
29	सूरतगढ	16.72
	योग	24.41
	कौष कार्यालय हनुमानगढ (1107)	
30	हनुमानगढ	5.92
31	पीलीबंगा	3.26
	योग	9.18
	कौष कार्यालय, जैसलमेर (1112)	
32	जैसलमेर	9.60
33	पोकरण	2.84
	योग	12.44
	कौष कार्यालय, जालौर (1113)	
34	जालौर	4.90
35	भीनमाल	15.00
	योग	19.90

क्रसं.	नगर परषिद/पालिका	राशि
	कौष कार्यालय जयपुर ग्रामीण (1109)	
36	विराटनगर	5.45
	योग	5.45
	कौष कार्यालय,झालावाड (1114)	
37	झालावाड	15.02
38	झालरापाटन	6.74
	योग	21.76
	कौष कार्यालय,झुन्झुनू (1115)	
39	झुन्झुनू	8.19
40	खेतड़ी	7.82
	योग	16.01
	कौष कार्यालय जोधपुर (ग्रामीण)	
41	फलौदी	8.55
	योग	8.55
	कौष कार्यालय, कोटा (1118)	
42	कैथून	1.93
	योग	1.93
	कौष कार्यालय, नागौर (1120)	
43	नागौर	1.90
44	मकराना	2.63
	योग	4.53
	कौष कार्यालय,पाली (1121)	
45	पाली	14.85
	योग	14.85
	कौष कार्यालय,राजसमन्द (1123)	
46	राजसमन्द	5.04
47	नाथद्वारा	5.32
	योग	10.36

क्रसं.	नगर परषिद/पालिका	राशि
	कौष कार्यालय स.माधोपुर (1124)	
48	सवाई माधोपुर	4.46
49	गंगापुर सिटी	3.24
	योग	7.70
	कौष कार्यालय,सीकर (1125)	
50	सीकर	40.02
51	खण्डेला	27.55
	योग	67.57
	कौष कार्यालय, करौली (1119)	
52	करौली	5.33
53	हिण्डौन	2.13
	योग	7.46
	कौष कार्यालय,सिरोही (1126)	
54	सिरोही	4.16
55	आबू रोड़	3.77
56	सुमेरपुर	3.23
	योग	11.16
	कौष कार्यालय,टोंक (1127)	
57	टोंक	8.50
58	देवली	3.01
	योग	11.51
	कौष कार्यालय,उदयपुर ग्रामीण	
59	फतेहनगर	1.06
	योग	1.06
	महायोग	396.59

(अक्षरे रुपये तीन करोड़ छियानवें लाख उनसठ हजार मात्र)

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

२०१